UPET010033672026

न्यायालय:: विशेष न्यायाधीश(द.प्र.क्षे.) एटा।
उपस्थितः शशि भूषण कुमार शांडिल "एच.जे.एस." जे.ओ. कोड–UP02751
दाण्डिक प्रकीर्ण वाद संख्या–357/2026

रज्जो देवी – प्रति – **रोशनी आदि**

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस
थाना– कोतवाली देहात
जिला– एटा।

10.07.2026

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। प्रार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 173(4) बी.एन.एस.एस पर उसके विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में नियत तिथि पर सुना गया।

प्रार्थनापत्र में प्रार्थिया के कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया रज्जो देवी पत्नी हरी बाबू निवासी–ग्राम मिलावली, थाना कोतवाली देहात जिला एटा की निवासिनी है। प्रार्थिया ने अपने पुत्र प्रशान्त कुमार की शादी दिनांक 26.07.2023 को हिन्दू रीति रिवाज से बिना किसी दान दहेज के रोशनी पुत्री अमर सिंह निवासी–कुवर गांव, थाना उसैत जिला बदायूँ के साथ की थी। शादी के बाद प्रार्थिया की पुत्रबधू विदा होकर आयी तो कुछ दिन तो ठीक ठाक रही परन्तु कुछ दिन के बाद प्रार्थिया की पुत्रबधू का व्यवहार प्रार्थिया तथा परिवारीजनों के साथ ठीक नहीं रहा। छोटी–छोटी बातों पर गन्दी–गन्दी गाली देना व ग्रहक्लेश करना व आत्महत्या करने की धमकी देना उसकी बुरी आदत बन गयी। प्रार्थिया तथा प्रार्थिया के घरवाले सब कुछ सहन करते रहे और पार्थिया का पुत्र अपना पत्नी धर्म का पालन करता रहा। उसी दौरान पार्थिया के पुत्र के संसर्ग से एक पुत्री कविता दिनांक 22 08.2025 को पैदा हुयी। पुत्री पैदा होते ही और ज्यादा बौखला गयी और दिनांक 05.01.2026 को अपने मायके फोन करके अपने पिता अमर सिंह को बुला लिया और सारा स्त्रीधन लेकर मय बच्ची के चली गयी और दिनांक 07.01.2026 को षडयंत्र के तहत दूसरी जगह रोशनी की शादी करने के उद्देश्य से रोशनी तथा उसके परिवारीजनों ने प्रार्थिया की नातिनी कविता की हत्या कर दी। प्रार्थिया को किसी के द्वारा सूचना मिली तो प्रार्थिया तथा प्रार्थिया के परिवारीजनों ने कविता के बारे में पूछा इसी बात पर रोशनी के परिवारीजन

Digitally signed by SHASHI BHUSHAN KUMAR SHANDIL
Date: 2026.07.10 16:26:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बौखला गये और फोन पर ही माँ बहिन की गन्दी–गन्दी गालियां देने लगे व प्रार्थिया के पुत्र को काटकर नहर में फेंकने की धमकी देने लगे और आगे देख लेने की बात कहने लगे। दिनांक 09.02.2026 को समय करीब 9:00 बजे सुबह दो गाडी ईको व तीन मोटर साईकिल पर सवार होकर रोशनी, अमर सिंह, अनिल, विजेन्द्र, सुधीर उर्फ शर्मा, प्रदीप, पप्पू, गुड्डी देवी, अशोक, सर्वन, प्रार्थिया के घर पर आ धमके और आते ही आते प्रार्थिया को माँ बहिन की गन्दी–गन्दी गालियाँ देने लगे। प्रार्थिया ने विरोध किया तो सुधीर उर्फ शर्मा, प्रदीप व पप्पू, विजेन्द्र ने प्रार्थिया को पकड़कर गले में साड़ी का फंदा डालकर जान से मारने लगे और बन्धक बना लिया। बाकी लोग प्रार्थिया के घर के अन्दर घुस गये प्रार्थिया के घर में बक्से में रखे चार चूड़ी सोने की, एक सोने का हार, एक सोने का टीका, एक जोड़ी झुमकी सोने की, एक करधनी चांदी की, एक जोड़ी पायल चांदी की इसके अलावा प्रार्थिया के पुत्र का एक सोने की चैन व एक सोने की अंगूठी व खेत बिक्री के रखे तीन लाख रूपये उपरोक्त लोगों ने प्रार्थिया के घर में से लूट लिये और गाड़ी में भरकर ले जाने लगे। प्रार्थिया चीखी चिल्लाई तो ब्रजेश कुमार, रामदास, रवीश, हरीबाबू व मौहल्ले के अन्य लोग आ गये। इन लोगों को आते देख अनिल ने अपनी अंटी से तमंचा निकालकर लहराते हुए कहा सालो तुमने हमारा पीछा किया तो जान से मार देंगे। प्रार्थिया का सारा सोने चांदी का जेबर व रूपया लूट ले गये। पार्थिया ने डायल 112 नम्बर पर सूचना दी पुलिस आयी। पुलिस ने थाने पर बुलाकर तहरीर तो ले ली परन्तु आज तक प्रार्थिया की रिपोर्ट नहीं लिखी। आज कल की कहकर टाल मटोल करती रही। तब प्रार्थिया ने दिनांक 01.05.2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को वजरिये रजिस्ट्री डाक द्वारा दिया किन्तु फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब मजबूर होकर प्रार्थिया यह प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। अतः प्रार्थिया की रिपोर्ट दर्ज कर उपरोक्त लोगों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

प्रार्थिया की ओर से अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा को दिये गये प्रार्थनापत्र की छायाप्रति, रजिस्ट्री रसीद असल एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थिया के प्रार्थनापत्र के आलोक में सम्बन्धित थाना से आख्या आहूत की गई। थाना की आख्या के अनुसार थाना पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार प्रार्थिया प्रश्नगत प्रकरण के सभी तथ्यों से अवगत है। वह समस्त तथ्यों पर न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती है। उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा विवेचना किया जाना

न्यायसंगत है। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नरदेव उर्फ टोमी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, क्रिमिनल रिट पिटीशन संख्या 2173/06** में अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) द.प्र.स. के प्रार्थनापत्र का निस्तारण न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए बहुत सावधानी से करते हुए, रूटीन में केस पंजीकृत का आदेश पारित नहीं करना चाहिए। **मकसूद सैय्यन बनाम गुजरात राज्य व अन्य 2007/(3) सी.सी.एस.सी. 1964 सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा** अवधारित किया गया है कि धारा 156(3) द.प्र.स. के प्रार्थनापत्र पर अन्वेषण का आदेश पारित करते समय न्यायालय को विवेक का प्रयोग करते हुए तथा उसे प्रकरण में लाये गये साक्ष्य की सावधानी पूर्वक संवीक्षा करनी चाहिए। **सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. 2007,ए.सी.सी. 739 (डी.बी.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.स. में वर्णित तथ्यों के आधार पर यदि संज्ञेय अपराध करना परिलक्षित होता है तो भी मजिस्ट्रेट अन्वेषण के आदेश किये जाने हेतु वाध्य नहीं है व मामले को परिवाद के रूप में दर्ज कर सकता है अथवा निरस्त भी कर सकता है।

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह घटना घरेलू विवाद को लेकर उत्पन्न हुई है जिसके संबंध में थाना की भी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। किसी प्रकार का कोई भी लूट से संबंधित कोई दस्तावेज अथवा साड़ी का फन्दा डालकर जान से मारने का कोई चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा 10 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया गया है जो क्रमशः तीन जिले बदायुं, कासगंज तथा फर्रूखाबाद से संबंधित है। यह घटना फर्जी रूप से तैयार किया जाना प्रतीत होता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रार्थनापत्र का खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिया रज्ञो देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(शशि भूषण कुमार शांडिल)
विशेष न्यायाधीश (द.प्र.क्षे.)
एटा